कार्यालय सहायक आयुक्त(प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

(मंदिर श्री रामचन्द्र जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर दूरभाषः–0141–2614404 मेल ac.jaipur1.dev@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ 1(50) लेखा/रिक्त सम्पदा नीलामी/2022/ A-552 दिनांक :– 12/12/2022

नीलामी सूचना

देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के इस कार्यालय के नियन्त्रणाधीन दौसा जिले के राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा में स्थित 9 रिक्त सम्पदाओं (व्यवसायिक) को सीलबंद लिफाफे में खुली नीलामी प्रक्रिया द्वारा 10 वर्ष के लिए किराये पर दिया जाना है। इसके लिए इच्छुक बोलीदाता नीलामी की समस्त शर्तों के साथ बंद लिफाफे में अपनी बोली दिनांक 27.12.2022 को सायं 6 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते है। प्राप्त बोलियों को नीलामी समिति द्वारा दिनांक 28.12.2022 को दोपहर 12 बजे खोला जायेगा। सम्पदाओं का विवरण एवं बोली की शर्तें www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है और बिड़ प्रपत्र इस कार्यालय से 200/– नकद जमा कर प्राप्त किये जा सकते है अथवा spp पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

क्रमांक :– एफ 1(50) लेखा/रिक्त सम्पदा नीलामी/2022/553 – 573 दिनांक :– 12/12/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव महोदया, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त महोदया, देवस्थान विभाग, राजस्थान–उदयपुर को सूचनार्थ एवं नीलामी सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु सादर प्रेषित है।
3. संयुक्त शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. ए.सी.पी. महोदया, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को नीलामी सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
5. श्रीमान जिला कलक्टर, दौसा को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
6. श्रीमान कोषाधिकारी, दौसा को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
7. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महुवा, जिला–दौसा को नीलामी सूचना आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. तहसीलदार महुवा, जिला–दौसा को नीलामी सूचना आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति महुवा, जिला–दौसा को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
10. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग भरतपुर/हनुमानगढ़/बीकानेर /जोधपुर/उदयपुर/ वृन्दावन/ऋषभदेव /कोटा/ अजमेर/जयपुर (द्वितीय) को अपने कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
12. कार्यवाहक प्रबन्धक मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा दौसा, को प्रेषित कर लेख है कि नीलामी सूचना की प्रति मंदिर सम्पदा पर चस्पा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक आयुक्त(प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

(मंदिर श्री रामचन्द्र जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर दूरभाषः–0141–2614404 मेल ac.jaipur1.dev@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ 1(50) लेखा/रिक्त सम्पदा नीलामी/2022/ A-552 दिनांक :– 12/12/2022

बिड़–प्रपत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि देवस्थान विभाग राजस्थान–सरकार के इस कार्यालय के नियंत्रणाधीन दौसा जिले के राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा में स्थित 9 रिक्त सम्पदाओं (व्यवसायिक) को सीलबंद लिफाफे में खुली नीलामी प्रक्रिया द्वारा 10 वर्ष के लिए किराये पर दिया जाना है। इसके लिए इच्छुक बोलीदाता नीलामी की समस्त शर्तों के साथ बंद लिफाफे में अपनी बोली दिनांक 27.12.2022 को सायं 6 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते है। प्राप्त बोलियों को समिति द्वारा दिनांक 28.12.2022 को दोपहर 12 बजे खोला जायेगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा। किराये पर दी जाने वाली सम्पदाओं का विवरण निम्नानुसार है।

क्रं सं.	नाम मंदिर	संपदा का विवरण	न्यूनतम बोली प्रतिमाह किराया	अमानत राशि
1	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा जिला–दौसा	व्यवसायिक सम्पदा	821	197
2	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा जिला–दौसा	व्यवसायिक सम्पदा	820	197
3	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा जिला–दौसा	व्यवसायिक सम्पदा	825	198
4	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा जिला–दौसा	व्यवसायिक सम्पदा	835	200
5	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा जिला–दौसा	व्यवसायिक दुकान न–2	606	145
6	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा जिला–दौसा	व्यवसायिक दुकान न–5	610	146
7	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा जिला–दौसा	व्यवसायिक दुकान न–6	608	146
8	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा जिला–दौसा	व्यवसायिक दुकान नं–7	610	146
9	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा जिला–दौसा	व्यवसायिक दुकान नं–8	608	146

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त (प्रथम)

Scanned with CamScanner

बोली की शर्तें

1. **बोलीदाता की पात्रताः–**बोलीदाता को बोली के साथ अन्य विभागीय सूचनाओं के साथ–साथ आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं/आधार न, मोबाईल नंबर, ई–मेल आइडी एवं पैन नम्बर उपलब्ध करवाना होगा। सफल बोलीदाता को अपना बैंक अकाउन्ट नम्बर, ब्रांच का नाम और आई.एफ.एस. कोड भी उपलब्ध करवाना होगा। बोलीदाता द्वारा किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी/बेदखली की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
2. **धरोहर राशिः–** बोली के साथ बोलीदाता को वार्षिक न्यूनतम बोली दर राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि डी.डी/बैंकर्स चैक के रूप में (जो कि सहायक आयुक्त प्रथम देवस्थान विभाग जयपुर के पक्ष में जयपुर में देय हो) जमा करनी होगी। इसके अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। बोली में असफल रहने पर उक्त धरोहर राशि सम्बन्धित बोलीदाता को वापिस कर दी जावेगी। बोली में **एच–2** के रूप में असफल बोलीदाता की धरोहर राशि सफल बोलीदाता **एच–1** के द्वारा निर्धारित धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम तिथि तक विभाग के पास सुरक्षित रहेगी तदुपरान्त उसे यह राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी। सफल बोलीदाता को उस वर्ष की देय राशि का 50 प्रतिशत सक्षम अनुमोदन प्राप्ति उपरान्त जमा कराना होगा जो विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में ब्याज रहित जमा रहेगा।
3. बोलीदाता द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप **प्रपत्र–अ** में किराये की मासिक दर ही अंकित की जानी है। इसके साथ ही निविदा की समस्त शर्तें बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की जानी है। इसके अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. अधिकतम राशि के बोलीदाता को समिति द्वारा सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा तथा उससे निर्धारित अमानत राशि जमा करायी जायेगी। प्रत्येक नीलामी राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही अंतिम एवं प्रभावी होगी। राज्य सरकार द्वारा किसी भी नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है। अस्वीकार करने की स्थिति मे जमा राशि बिना ब्याज के सफल बोलीदाता को लौटा दी जायेगी। आयुक्त/प्रमुख शासन सचिव महोदय देवस्थान विभाग से प्राप्त नीलामी अनुमोदन की सूचना सफल बोलीदाता को प्रदत्त मोबाईल नम्बर/ई–मेल आईडी से अथवा उनके पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित रूप में उपलब्ध करवा दी जायेगी। सफल बोलीदाता सूचना प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर बकाया राशि जमा करा कर संपदा का कब्जा आवश्यक रूप से प्राप्त करेगा। उक्त नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराने स्थिति में नीलामी निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।
5. **अनुबंधपत्र/लीज डीडः–** सफल बोलीदाता द्वारा समस्त नीलामी राशि व अन्य बकाया राशि जमा करने के पश्चात किरायेनामे का अनुबन्ध पत्र/लीजडीड निष्पादित करना होगा । नीलामी की शर्तें एवं तत्प्रभावी जी.एफ.एण्ड ए.आर के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/देवस्थान विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले परिपत्रों को अनुबन्ध पत्र में समाहित किया जायेगा।
6. **किराया जमा कराने की व्यवस्थाः–**किरायेदार मासिक किराया राशि जरिये रसीद/चैक/ड्राफ्ट व ऑनलाईन इस कार्यालय में जमा करा सकेगा।
7. देवस्थान विभाग की सम्पदा को किराये पर लेने के इच्छुक व्यक्ति इस कार्यालय से 200/– रूपये नगद जमा करवा कर बिड़ प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। अथवा ऑनलाईन SPP Portal से बिड़ प्रपत्र डाउनलोड़ किया जा सकता है। बिड़ प्रपत्र डाउनलोड़ करने पर उस बोलीदाता को सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर के पक्ष में (जयपुर में देय) दो सौ रूपये का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बिड़ के साथ संलग्न करना होगा। इसके अभाव में उक्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. सफल बोलीदाता को उस वर्ष की देय किराया राशि का 50 प्रतिशत सक्षम अनुमोदन प्राप्ति उपरान्त जमा करवाना होगा। बोली का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही सम्पदा किराये पर दी जायेगी। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में किरायानामा/अनुबन्ध पत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित करना होगा।

Scanned with CamScanner

9. स्वीकृति पश्चात 15 दिवस में सम्पदा का कब्जा प्राप्त करना होगा। बोली स्वीकार करने, स्थगित करने, नीलामी की दिनांक आगे बढ़ाने, तथा बोली बिना कारण अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी कमेटी तथा देवस्थान विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
10. किरायेदार को अपनी सम्पति पर सहजदृश्य रूप मे विभागीय फोरमेट कलर कोड व साईज के अनुसार देवस्थान विभाग का नाम एवं सम्पदा का विवरण लिखना आवश्यक होगा।
11. विभागीय सम्पत्तियां जिस प्रयोजन के लिये दी गई है, उसका उसी प्रयोजन अनुरूप उपयोग किया जाएगा। प्रयोजन परिवर्तन पूर्णतः निषिद्व होगा तथा उनका नियमन नही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति मे किरायेदार को परिवर्तन व संपरिवर्तन का अधिकार नही होगा। आवंटन के पश्चात् सम्पदा को उपकिरायेदारी/सहकिरायेदारी/साझेदारी पर देना निषेध रहेगा यदि ऐसा पाया जावे तो आवंटी एंव उपकिरायेदार/सहकिरायेदार /साझेदार की बेदखली करते हुये दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी एवं प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी।
12. विभागीय किरायेदार मंदिर मर्यादा के विरूद्व कोई व्यवसाय या कार्यकलाप नही करेगा यथा मांस, मंदिरा विक्रय, जूआ, सटटा व विधि के विरूद्व आपराधिक गतिविधियां संचालित नही करेगा न ही उसमें संलिप्त होगा। निषिद्व व्यवसायों की सूची देवस्थान विभाग समय–समय पर जारी करेगा, जिसको मानने के लिये किरायेदार अनिवार्य रूप से वाध्य होगा।
13. किरायेदार को किसी भी रूप से सम्पति को रहन करने या हस्तांतरित करने का अधिकार नही होगा।
14. व्यक्ति की स्थिति में प्रत्येक किरायेदार को आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं/आधार न, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी तथा नवीनतम पासपोर्ट साईज का एक रंगीन फोटो देना होगा। आवश्यकतानुसार उसे अपना बैक अकाउन्ट नंवर, ब्रांच और आईएफएससी कोड तथा पैन नम्बर भी प्रस्तुत करना होगा। संस्था की स्थिति में उनसे सम्बन्धित पंजीयन/लाईसेंस का नम्बर उपलब्ध करवाना होगा। तथा संस्था के मालिक/सदस्यों के आधार नं, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी तथा नवीनतम पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे।
15. दुकानदार को अपने दुकान के साईनबोर्ड पर देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में साईज के अनुसार कलर बोर्ड में देवस्थान विभाग का नाम एवं संपदा का नाम व विवरण लिखना आवश्यक होगा। साईनबोर्ड पर दुकान के विधिक प्रोपराईटर का नाम आवश्यक रूप से लिखना होगा।
16. दुकान के भीतर उसे व्यवसाय से संबधित अपने वैध लाईसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करना होगा। उक्त लाईसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र पर आवश्यक रूप से आवंटी का नाम होना चाहिये। यदि वह किसी फर्म या कम्पनी के नाम से है तो उसमें प्रोपराईटर का स्वामित्व आवश्यक रूप से आवंटी के नाम होना चाहिये। उक्त के अभाव में यह माना जायेगा कि मूल आवंटी किरायेदार द्वारा सम्पति को सबलेट कर नियमों का उल्लंघन किया गया है तथा उसकी किरायेदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार पर नियमानुसार दण्डात्मक/बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।
17. भवन के किसी भी विरूपण अथवा क्षति कारित किये जाने अथवा बिना अनुमति के परिवर्तन किये जाने अथवा शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर किरायेदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार नियमानुसार दण्डात्मक एवं बेदखली कार्यवाही का भागी होगा।
18. बोली में अंकित सम्पदाओं को अधिकतम दस वर्ष की समयावधि तक के लिए किराये पर दिया जायेगा। तथा किराया राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की जावेगी। इसके अतिरिक्त देवस्थान विभाग /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी इससे सम्वन्धित परिपत्रों तथा राजस्थान देवस्थान विभागीय किराया नीति–2021 के समस्त प्रावधान लागू होगे।
19. बोलीदाता द्वारा एक सम्पदा की बोली के लिए एक प्रपत्र ही भरा जाना है। यदि वही बोलीदाता निविदा सूचना में अंकित विभाग की अन्य सम्पदा को किराये पर लेना चाहे तो उसकी बोली के लिए उसे दूसरा बिड़ प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी

Scanned with CamScanner

बोलीदाता द्वारा एक बिड़ प्रपत्र के साथ एक से अधिक सम्पदाओं की दरें प्रस्तुत की गई तो वह बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

20. बोली प्रस्तुत करते समय बंद लिफाफे पर सम्पदा का नाम, मंदिर का नाम व सूची में अंकित सम्पदा की क्रं.सं. आवश्यक रूप से अंकित की जानी है। बंद लिफाफे में प्रपत्र–अ पूर्ण कर हस्ताक्षरित बोली की शर्तें, आधार कार्ड व पैन कार्ड की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करनी है।
21. कॉलम संख्या 4 में वर्णित सम्पदा का क्षेत्रफल अनुमानित है जो कम या अधिक हो सकता है। इच्छुक बोलीदाता द्वारा कार्यालय की सम्पदा शाखा/मंदिर प्रबन्धक से संपर्क कर बोली हेतु प्रस्तावित सम्पदाओं का भौतिक निरीक्षण किया जा सकता है। सम्पदा जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में किराये पर दी जायेगी। यदि उसमें मरम्मत की आवश्यकता हो तो सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर उसकी मरम्मत करवा सकता है।
22. विशेष परिस्थितियों में यदि किसी सम्पदा की नीलामी तिथि व समय में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो सम्बन्धित सम्पदा की नीलामी की तिथि व समय की सूचना बाद में पृथक से जारी कर दी जावेगी।
23. देवस्थान विभाग विशेष परिस्थितियों में किरायेदार से किराया अवधि में एक माह का नोटिस देकर कभी भी सम्पदा को खाली करवा सकता है।
24. प्रत्येक बोली सहायक आयुक्त/आयुक्त/शासन सचिव, देवस्थान विभाग से अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावी मानी जायेगी।
25. उक्त बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

(रतन लाल योगी)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र–अ

सूची में अंकित सम्पदा की क्र. सं.	नाम मंदिर	सम्पदा का विवरण (बिड़ प्रपत्र के अनुसार सम्पदा की क्रम संख्या व उसका नाम अंकित करे)	बोलीदाता द्वारा बोली में प्रस्तावित मासिक दर
	मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी पावटा		अंको में..... शब्दों में..... .....

नोटः–

1. बोलीदाता द्वारा बोली में दरें दस के गुणाक में ही प्रस्तुत करनी होगी।
2. इस प्रपत्र में नीलामी सूचना में वर्णित अनुसार ही विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। अन्यथा बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बिडर के हस्ताक्षर मय दिनांक
बिड हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का पद एवं स्थिति
मोबाईल नं.
मेल आईडी

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

Scanned with CamScanner